



दि एम.पी.स्टेट एगो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल
Phone: 2761392/2551652/2551756/2556857, FAX 2557305
Email: mpagrohhobpl@gmail.com

मुख्या/आर सी ओ/उद्यान/2021-22/4217
हायब्रिड बेजीटैवल बीज के प्रदाय हेतु जाशी रेट कांटेक्ट आफर के संबंध में दिनांक 26.11.2021 को आयोजित प्रीबिड मीटिंग के

के संबंध में।

हायब्रिड बेजीटैवल बीज के प्रदाय हेतु दिनांक 9.12.2021 को आमंत्रित रेट कांटेक्ट के संबंध में दिनांक 26.11.2021 को प्रीबिड मीटिंग का आयोजन किया गया। संभावित ऑफरकर्ताओं द्वारा दिये गये सुझाव व अपतितियों के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिये जाते हैं-

क्र.सं.	फर्म का नाम	वर्तमान में प्रावधान	दिये गये सुझाव व अपतितियों	स्पष्टिकरण	मान्य संशोधन (Corrigendum)
1	पारसनाथ एंड कंपनी इंदौर	रिजिस्ट्रार का क्र. 4 B- CRITERION FOR SEED VARIETY ACCEPTABLE IN THIS RCO 1- Proprietary vegetable seed variety Produced by Seed Producer/ Imported seeds which are recommended for the state of Madhya Pradesh by ICAR (India Council of Agriculture Research or having Trial Reports for particular seed variety issued by Agriculture university of Madhya Pradesh / Any other State Agriculture university stating that the variety is suitable/remanded for state of Madhya Pradesh.	ICAR द्वारा जारी रिपोर्ट में प्रजाति की मध्य प्रदेश में अनुकूलता के संबंध में टीप नहीं दी जाती है। अतः इसमें संशोधन आवश्यक है।	म.प्र. शासन द्वारा इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि " भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा म.प्र. के लिये अनुशंसित संकर बीज का वितरण किया जा सकता है।	वर्तमान में कोई संशोधन मान्य नहीं आवेदक ICAR द्वारा जारी रिपोर्ट में प्रजाति की रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिसमें ड्रायल म.प्र. के सेंटर में लिये गये हो। इस संबंध में तकनीकी समिति से मत प्राप्त कर आगामी निर्णय लिया जा सकेगा।

MS

MS

CORRECTIONUM-1

	<p>परिशिष्ट क्रमांक 4</p> <p>2- Officer has to submit 3 samples of each vegetable seed variety for which rates are submitted. The samples seed packet must contain details as per seed act and any other statutory regulation Samples thus submitted will not be return back</p>	<p>सेमल की साईज क्या रहेगी (कितनी ग्राम मात्रा के सेमल दिये जाना है।)</p>	<p>सेमल 3 से 10 ग्राम मात्रा के उपयुक्त अनुसार प्रस्तुत किये जा सकते। बीज की पैकिंग उसी प्रकार से होना चाहिए जिस प्रकार से प्रदाय करेंगे। बीज अभिनियम के अनुसार पैकेट पर जानकारी अंकित होना आवश्यक है।</p>	<p>Point C page No 14 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है- Officer has to submit 3 samples (3 to 10 gm Packing) of each vegetable seed variety for which rates are submitted. The samples seed packet must contain details as per seed act and any other statutory regulation Samples thus submitted will not be return back</p>
<p>2</p> <p>अरुणा इटप्राईजेज मोपाल व अरसी इटप्राईजेज</p>	<p>परिशिष्ट क्रमांक 1 बिंदु क्रं 4</p> <p>संकल्प धन राशि (EMD) 2000000 / - (रु दो लाख मात्र)</p>	<p>संकल्प धन राशि रु 2.00 के स्थान पर कम कर गत रेट कांट्रैक्ट के अनुसार राशि रु 1.00 की जावे।</p>	<p>सुझाव मान्य</p>	<p>परिशिष्ट क्रमांक 1 बिंदु क्रं 4</p> <p>संकल्प धन राशि (EMD) 1000000 / (रु एक लाख मात्र)</p>
	<p>परिशिष्ट क्रमांक 2 बिंदु क्रं 16</p> <p>निगम शासकीय संस्थाएं / एग्री कल्चर यूनियर्सिटी / कोआपरेटिव्ह सेक्टर को प्राथमिकता दे सकता है व धरोहर राशि जमा करने तथा सीधे अनुबंध करने की कार्यवाही कर सकता है।</p>	<p>शासकीय संस्थाएं / एग्री कल्चर यूनियर्सिटी / कोआपरेटिव्ह सेक्टर की उन्ही स्थिति में अनुबंध करने की कार्यवाही की जावे जब वह शासकीय संस्था ऑफर में नियमानुसार भाग लेकर आफर की समस्त अर्हताएं पूर्ण करती हो।</p>	<p>निगम शासकीय संस्था है तथा अन्य शासकीय संस्थाएं / एग्री कल्चर यूनियर्सिटी / कोआपरेटिव्ह सेक्टर के साथ व्यावसायिक अनुबंध करने हेतु स्वंत्रत रहेगा। हायब्रीड बीजों के प्रदाय के संबंध में शासन के दिशानिर्देशों के अनुरूप मापदंड की पूर्ति करने पर निगम तदानुसार अनुबंध कर कार्यवाही करेगा।</p>	<p>कोई संशोधन नहीं</p>
	<p>परिशिष्ट क्रमांक 10</p> <p>AUTHORITY LETTER FOR DEALER (On MANUFACTURER/IMPORTERS LETTER HEAD)</p>	<p>ऑथारिटी लेटर का फार्मेट पूरी तरह बदल दिया गया है। कंपनियों द्वारा निगम द्वारा हाल ही में निरस्त किये गये</p>	<p>दिनांक 22.7.2021 को आमंत्रित रेटकांट्रैक्ट आफर में Authority to submit Tender (On Producer company's letterhead रेट कांट्रैक्ट</p>	<p>ऑथारिटी लेटर का फार्मेट परिशिष्ट के अनुसार ही रहेगा जो निर्माता / उत्पादक कंपनी द्वारा जारी किया है।</p>





CORRIGENDUM-I

3	अरुणा इंटप्राईजेज भोपाल	<p>फारमेट के अनुसार अधिकार पत्र जारी कर दिया गया है। यह अधिकार पत्र कंपनियों द्वारा साल में एक ही बार जारी किया जाता है। अतः निरस्त किये गये रेटकांट्रेक्ट आफर के अनुसार ही फारमेट में अधिकार पत्र को स्वीकार किया जावे।</p> <p>डीलर हेतु अधिकार पत्र जारी करने वाली कंपनी का बोर्ड रिज्यूलेशन मांगा गया है। इस हेतु निवेदन है कि अधिकांश बहुसाध्य बीज कंपनी के बोर्ड मेम्बरस विदेशों में रहते है जिस राज्य में व्यवसाय होता है वहां का ऐरिया मेनेजर / सीजनल मेनेजर ही अधिकार पत्र जारी करता है। अतः पुराने फार्मेट में ऐरिया मेनेजर / सीजनल मेनेजर द्वारा जारी अधिकार पत्र मान्य किया जावे।</p>	<p>आफर प्रस्तुत करने के संबंध में है। नवीन रेट कांट्रेक्ट आफर में यह परिशिष्ट 7 पर है। Authorized Dealer/ Distributor के संबंध में नहीं है।</p>	<p>बोर्ड रिजाल्युशन संबंधि शर्त को विलोपित मान्य किया जाता है। In Case of Company it should be supported with board resolution other case it should be issued by Proprietor/ Managing Partner-</p>
		<p>फसल भिंडी, गिलकी लौकी तरबूज / खरबूज एवं अन्य फसलों के</p>	<p>रेट कांट्रेक्ट आफर की शर्त के 15 के में निम्नानुसार प्रावधान है</p>	

BR

BR

CORRECTION

		<p>बीजों की बाजार में प्रचलित किस्मों की वर्तमान में प्रचलित बाजार / डीलर दरों का अध्ययन करवाने के बाद ही दरें जारी की जावे, ताकी अच्छे और प्रचलित उत्पाद एगो के माध्यम से किसानों को मिल पाए।</p>	
	<p>“ प्रदायक द्वारा जो दरें निगम को प्रस्तुत की है वे दरें न्यूनतम होना आवश्यक है। निगम के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के प्रभावशील रहने तक प्रदायकों द्वारा अनुमोदित दरों से कम दर पर अन्य संस्थाओं/व्यक्ति/शासकीय विभाग या उपक्रम को प्रदाय किये जाने की जानकारी निगम के संज्ञान में आती है तो प्रदायक द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गई समस्त सामग्री पर वही कम दर लागू मानते हुये अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के भुगतान हेतु लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करते हुए प्रदायक की धरोहर राशि जप्त करने की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक उत्तरदायी रहेंगे।”</p>	<p>तदानुसार भी ऑरकर्टाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी न्यूनतम दरों का</p>	

P.S.
Shukla

J. B. S. Pr

